शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-23/2016/568/52-1-2015-16(एम०एस०डी०पी०)/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
620, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 18 फरवरी, 2016

विषयः मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्राम निराना में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण एवं ग्राम जसोई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण हेतु अवशेष केन्द्रांश की **द्वितीय किश्त** एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(3)/2012-पी0पी0, दिनांक 03.12.2012 के क्रम में जारी शासन के पत्र संख्या-2055/52-1-2013-16(एम०एस०डी०पी०)/2013, दिनांक 15 मई, 2013 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिससे उक्त ग्राम निराना में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण एवं ग्राम जसोई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिए **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनु सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(3)/2012-पी0पी0, दिनांक 23.06.2015 से ग्राम निराना के प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए परियोजना के लिये कुल अनुमोदित केन्द्रांश की रू0 8.50 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश की अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 4.25 लाख (रू0 चार लाख पच्चीस हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 0.75 लाख (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 05.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) तथा ग्राम जसोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू० 93.50 लाख के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू० 46.75 लाख एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू० 8.25 लाख अर्थात् कुल रू० 55.00 लाख (रू० पचपन लाख मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित बजट रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू० 1402.37 लाख में से निम्न विवरण के अनुसार अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू0 लाख में)

क्र0	जनपद	योजना	इकाई सं0	इकाई लागत	अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के0+रा0)	वर्तमान में अवमुक्त **द्वितीय किश्त** की धनराशि		कुल अवमुक्त धनराशि (के0रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुजफ्फर नगर	ग्राम निराना में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण	01	10.00	8.50	1.50	5.00	4.25	0.75	5.00
2	मुजफ्फर नगर	ग्राम जसोई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	01	110.00	93.50	16.50	55.00	46.75	8.25	55.00
		;kx¾	**02**	**120.00**	**102.00**	**18.00**	**60.00**	**51.00**	**9.00**	**60.00**

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इस सक्षम स्तर की सवीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यदायी संस्था **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** के निदेशक को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को 03 माह में कुल अनुमोदित धनराशि से गुणवत्ता युक्त एवं संतोषजनक रूप से पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

4- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी- सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। ग्राम निराना में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण एवं ग्राम जसोई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की डिजाइन वही होगी, जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित है।

7- निर्माण कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा योजना से सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

8- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9- अवमुक्त धनराशि के व्यय का जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियों में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेंगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमात्र-पत्र एवं उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

10- इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का अनुदान ग्राही द्वारा एक पृथक लेखा (Grantee) मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा की जायेगी।

11- ग्राम निराना में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण एवं ग्राम जसोई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन पर कार्यदायी संस्था द्वारा एक बोर्ड भी निर्मित किया जायेगा जिस पर योजना की लागत, बजट का स्रोत, योजना के स्वीकृत होने की तिथि, भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि तथा कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया जायेगा।

12- उपरोक्त कार्य के बारे में अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा।

13- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथावश्यकता स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से मानचित्रों को स्वीकृत कराया जायेगा तथा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। परियोजना के पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य के सम्परीक्षित लेखे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे ।

14- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक "4235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02--समाज कल्याण-800--अन्य व्यय-01--केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0106-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण(के075-रा0 25-के0**+**रा0)-**24--वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या- (1)/बावन-1-2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (परीक्षा विभाग), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वाँ तल पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली ।

5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत ग्राम निराना में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण एवं ग्राम जसोई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाना निवेदित है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये केन्द्र/राज्य सरकार के किसी अन्य मद से अनुदान प्राप्त न किया गया हो।

6- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले ग्राम निराना में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण एवं ग्राम जसोई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण के स्थलों की सूची सम्बन्धित विभाग/अधिकारी से प्राप्त कर गुणवत्ता पूर्ण निर्माण समयान्तर्गत पूर्ण करने का कष्ट करें।

7- जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निर्मित होने वाले ग्राम निराना में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण एवं ग्राम जसोई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की सूची कार्यदायी संस्था एवं शासन को शीघ्र उपलब्ध कराकर गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कराने का कष्ट करें।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

10- वित्त-ई-11

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को स्वच्छ प्रति की 03 प्रतियां।

12- निजी सचिव, मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज, उत्तर प्रदेश को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

13- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।